न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम.के. सिंह,

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 510-एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 2-2-16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक अपील 236 बी/121 /14-15.

---

1. शम्भूदयाल आ0 स्व0 श्री प्रभुदयाल शौनकिया
   हाल मुकाम बरमार तहसील करेली जिला नरसिंहपुर
2. पंकज नेमा आ0 स्व0 श्री प्रमोद नेमा
3. श्रीमती इन्दु नेमा वेवा स्व0 श्री प्रमोद नेमा
4. प्रियंक नेमा आ0 स्व0 श्री प्रमोद नेमा
   तीनों निवासी महाजनी वार्ड नरसिंहपुर ..... आवेदकगण

बनाम

1. आशीष शौनकिया आ0 राधाचरण शौनकिया
2. अश्विनी शौनकिया आ0 राधाकृष्ण शौनकिया
3. श्रीकांत शौनकिया आ0 राधागोविंद शौनिकया
   सभी निवासी-महाजनी वार्ड, नरसिंहपुर
   तहसील व जिला नरसिंहपुर ..... अनावेदकगण

श्री संजय दुवे अभिभाषक, आवेदकगण

श्री एल.एस. धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 24 - 6 — 2016 **को पारित)**

यह निगरानी आवेदनपत्र म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त जबलपुर संभाग

जबलपुर के अपील प्रकरण क्रमांक 236 बी/121 /14–15 में पारित आदेश दिनांक 2–2–16 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह कि अनावेदकों के द्वारा कलेक्टर नरसिंहपुर के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत की है कि मौजा डेढवारा प0ह0नं0 16/42 के ख0नं0 19 रकवा 0.40 हे. एवं ख0नं0 52/1 रकवा 22.59 हे0 भूमि श्री देव मुरलीधर ट्रस्ट सरवराहकार प्रभुदयाल आ0 अंतराम ब्राम्हण के नाम वर्ष 1954–55 अधिकार अभिलेख में दर्ज अनुक्रमांक 17 पर दर्ज है । प्रभुदयाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके एक मात्र वारिस शम्भूदयाल शौनकिया द्वारा श्री देवमुरलीधर जी का नाम खारिज कराकर अनाधिकृत रूप से स्वयं का नाम दर्ज करा लिया तथा उसे स्वयं की जमीन बताकर रजिस्टर्ड बैनामा से विक्रय कर दिया गया है उपरोक्त भूमि पर उपरोक्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि पूर्ववत कर श्री देवमुरलीधर जी का नाम दर्ज किया जावे । कलेक्टर, नरसिंहपुर द्वारा उक्त शिकायत के आधार पर प्रकरण क्रमांक 68 ब/121 वर्ष 2013–14 पंजीबद्ध कर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक दिनांक 28.2.2015 आदेश पारित करते हुए यह पाया कि उभय पक्ष के बीच परिवार की भूमियों को लेकर स्वत्व का विवाद है स्वत्व के विवाद के निराकरण की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है अतः पक्षकार स्वत्व के विवाद के निराकरण हेतु सक्षम न्यायालय में सिविल वाद प्रस्तुत करें स्वत्व के विवाद के निराकरण तक प्रश्नाधीन भूमि पर यथास्थिति कायम रखी जाये । पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा आदेश के अंतिम पैरा में पारित आदेश के विरूद्व अपील अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– मैंने उभयपक्ष के विद्वारा अभिभाषकगण के तर्क सुने गये । पुनरीक्षणकर्ता ने मौखिक तथा लिखित तर्क में दर्शाया गया है कि डेढवारा नं0बं0 233 प0ह0नं0 16/42तहसील नरसिंहपुर में स्थित भूमि ख0नं0 19 रकवा 0.40 एकड एवं ख0नं0 52/1 रकवा 22.59 एकड भूमि अधिकार अभिलेख वर्ष 54–55 में प्रभूदयाल अनन्तराम साकिन नरसिंहपुर भूमिधारी के नाम से दर्ज रही है तथा वर्ष 54–55 की जमावंदी/किष्तबंदी में भी उक्त भूमि पर प्रभुदयाल शौनकिया पुनरीक्षणकर्ता क्र0 1 के पिता का नाम दर्ज है तथा वर्ष 1954–55 की जमाबंदी/किश्तबंदी के आधार पर ही अधिकार अभिलेख तैयार किया गया है , अधिकार अभिलेख व वर्ष 54–55 की किश्तबंदी की सत्यप्रतिलिपि की

फोटोकापी संलग्न की जा रही है । उक्त दस्तावेज से स्पष्ट है कि उक्त भूमि के पूर्ण मालिक प्रभुदयाल जी रहे हैं । अधिकार अभिलेख की सत्यप्रतिलिपि वर्ष 1987 में निकाली गयी है जिसे गढा या बनाया नहीं जा सकता ।

यह तर्क दिया गया है कि प्रभुदयाल जी के परिवार की संपत्ति मौजा झामर, डेढवारा. धुवधट एवं नंदवारा में रही है तथा उक्त पारिवारिक संपत्ति का बटवारा प्रभुदयालजी, उनके भाई गिरधारीलाल जी के बीच वर्श 1967 में सभी पक्षों की सहमति से किया गया है तथा पंजीकृत बटवारानामा दिनांक 29.3.67 को तहरीर किया गया है । उक्त बटवारा में प्रभुदयाल जी को मौजा झामर में स्थित भूमि ख0नं0 13, 11, 10, 9/1, 5, 45, 53, 55, 77, 120, 147 जुमला रकवा 89.08 एकड तथा मौजा डेढवारा की भूमि ख0नं0 19 रकवा 0.40 व 52/1 रकवा 22.59 एकड तथा मौजा नंदवारा में स्थित भूमि ख0नं0 65/1, 80, 90 जुमला रकवा 37.71 एकड भूमियां प्राप्त हुयी थी ।

यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त पारिवारिक बटवारा में श्री देवमुरलीधर जी मंदिर के लिए मौजा झामर नं0ब0 178 तहसील गाडरवारा में स्थित भूमि ख0नं0 20, 21, 24, 25, 41, 43, 44 जुमला रकवा 25.58 एकड लगाई गयी थी जिसका सरवराहकार श्री गिरधारीलाल जी को नियुक्त किया गया था ।

लिखित बहस में यह भी आधार लिया गया है कि मौजा डेढवारा में स्थित भूमि ख0नं0 19, 52/1 जुमला रकवा 22.99 एकड जो कि प्रभुदयाल जी को बटवारा में प्राप्त हुयी थी को उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर संशोधन क्र0 17 दिनांक 30.4.68 के अनुसार अपने पुत्र शम्भूदयाल जी के नाम दर्ज कर दी थी तथा उसी समय से उक्त भूमि शम्भूदयाल जी के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है जिसके वह पूर्ण भूमिस्वामी मालिक काबिजदार रहे हैं । शम्भूदयाल जी के द्वारा ख0नं0 52/1 में से भूमि अपीलार्थी क्र0 2 से 4 को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.11.2012 के द्वारा विक्रय की गयी है जिस पर वर्तमान में पुनरीक्षणकर्ता क्र0 2 से 4 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । इस प्रकार पुनरीक्षणकर्ता क्र0 2 से 4 के द्वारा मौजा डेढवारा में जो भूमि क्रय की गयी है वह शम्भूदयाल जी के भूमिस्वामी हक की भूमि क्रय की गयी है तथा उन्हें बैनामा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था ।

यह तर्क दिया गया है कि मौजा डेढवारा की अधिकार अभिलेख पंजी में ख0नं0 19 एवं 52/1 जो कि प्रभुदयाल अनन्तराम के नाम दर्ज रही है उक्त पंजी में प्रभुदयाल जी के नाम के साथ श्रीदेव मुरलीधर जी फर्जी तरीके से अंकित किया गया है उसकी

शिकायत शम्भूदयाल जी के द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जिसका राजस्व मामला क्रमांक 710 ब/121 वर्ष 10-11 है उक्त प्रकरण में श्रीमान तहसीलदार महोदय नरसिंहपुर के द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन दिनांक 11.11.2011 को दिया गया तथा जांच में यह पाया था कि अधिकार अभिलेख पंजी 54-55 में प्रभुदयाल जी के साथ श्री देव मुरलीधर जी फर्जी तरीके से अंकित किया गया है । अधिकार अभिलेख की वर्ष 1987 में जारी की गई सत्यप्रतिलिपि व तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उक्त इन्द्राज फर्जी तरीके से किये गये हैं ।

यह तर्क दिया गया है कि वादग्रस्त भूमि मौजा ढेडवारा ख0नं0 52/1 में उत्तरवादीगण के द्वारा देव मुरलीधर के नाम से दर्ज कराने हेतु आवेदन अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा उक्त भूमि को ट्रस्ट की भूमि बताया गया है जबकि इसी भूमि का बटवारा हेतु आवेदन अनावेदकगण के पिता व चाचा के द्वारा सहमति पत्र दिनांक 13.6.2011 के आधार पर तहसीलदार नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था उक्त आवेदन में वादग्रस्त भूमियों को संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक संपत्ति दर्शाया गया था उक्त प्रकरण का क्रमांक 2 अ/27 वर्ष 11-12 है जिसमें तहसीलदार नरसिंहपुर के द्वारा 23.7.2012 को आदेश पारित किया गया तथा आवेदन पत्र निरस्त किया गया । उक्त आदेश की अपील अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो कि 28.12.2012 को निरस्त की गयी जिसका अपील क्र0 83 अ/27/11-12 है। इस प्रकार अनावेदकों के द्वारा न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है ।

यह तर्क दिया गया है कि वादग्रस्त संपत्ति वर्ष 1968 से श्री शम्भूदयाल शौनकिया के नाम से राजस्व अभिलेख्यो में संशोधन क्रमांक 10 आदेश दिनांक 30.4.68 के माध्यम से दर्ज रही है उक्त नामान्तरण तत्कालीन तहसीलदार द्वारा किया गया है ऐसे नामान्तरण के विरूद्व अपील भी अनावेदकों के द्वारा नहीं की गयी है इसलिए उक्त नामान्तरण अंतिम हो जाता है ।

यह तर्क दिया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता क्र0 1 के पिता प्रभुदयाल जी के द्वारा मौजा ढेडवारा में स्थित भूमि ख0नं0 52 में से रकवा 8.00 एकड भूमि मध्यप्रदेश इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड जबलपुर को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.1.1963 को विक्रय की गयी तथा विक्रय करने के बाद उक्त भूमि पर मध्यप्रदेश इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड जबलपुर का नाम राजस्व अभिलेखों में संषोधन क्रमांक 20 आदेश दिनांक 29.4.1963 को दर्ज हुआ

उक्त संशोधन के समय भी खसरा नंबर 52 की भूमि पर प्रभुदयाल जी का नाम बहैसियत भूमिस्वामी के दर्ज रहा है ।

4- अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक के द्वारा मौखिक तथा लिखित तर्क में दर्शाया है कि मौजा ढेडवारा में स्थित भूमि ख0नं0 52 श्री देव मुरलीधर जी के नाम से वर्ष 1923-24 की मिसल बंदोवस्त के समय से दर्ज रही है जिसके सरवराहकार प्रभुदयाल जी रहे हैं पुनरीक्षणकर्ता क0 1 के द्वारा अपना नाम उक्त भूमि पर भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज करवाया गया है तथा उक्त भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 2 से 4 को विक्रय किया गया है, उक्त विक्रय अधिकारिता रहित हैं क्योंकि मंदिर की भूमि को बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना विक्रय नहीं किया जा सकता है।

5- मैंने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधिनस्थ न्यायालयो के अभिलेखों का अवलोकन किया । कलेक्टर नरसिंहपुर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.2.2015 में उल्लेख किया गया है कि उभय पक्षों के बीच परिवार की भूमियों को लेकर स्वत्व का विवाद है तथा स्वत्व के विवाद के निराकरण की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है स्वत्व के विवाद के निराकरण तक प्रश्नाधीन भूमि पर यथास्थिति कायम रखी जावे जबकि विधि का सामान्य सिद्धान्त है कि जिस विषय के विवाद के निराकरण करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं है तो उस न्यायालय को विवाद के निराकरण तक यथास्थिति कायम रखने वावत आदेश पारित करने का भी कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता इसलिए अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर तथा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के द्वारा स्वत्व के विवाद के निराकरण तक यथास्थिति रखे जाने वावत जो आदेश पारित किया गया है विधिसम्मत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6- अभिलेख में पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा प्रस्तुत किए गए पंजीकृत पारिवारिक बटवारानामा दिनांक 29.6.67 की फोटोकापी, अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की फोटोकापी, तथा किश्तबंदी/जमाबंदी वर्ष 1954-55 की सत्यप्रतिलिपि संलग्न है । अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की वर्ष 1987 में जारी की गयी सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट है कि ख0 नं0 52 पर प्रभुदयाल जी का नाम बहैसियत भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहा है तथा अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की जमाबंदी/किश्तबंदी के आधार पर तैयार किया गया है उक्त किश्तबंदी में भी प्रभुदयाल का नाम ख0 नं0 52 पर दर्ज रहा है । अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 में प्रभुदयाल के

नाम के साथ श्री देवमुरलीधर जोडा गया है जिसकी शिकायत पुनरीक्षणकर्ता क0 1 के द्वारा की गयी जिसका प्रकरण कमांक 710 ब/121/10-11 है और जिसकी जांच तहसीलदार नरसिंहपुर के द्वारा गयी है तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रतिवेदन दिनांक 11.11.2011 में दर्शाया गया है कि अधिकार अभिलेख में प्रभुदयाल के नाम के साथ पृथक से हस्तलिपि में श्री देवमुरलीधर जी का नाम बाद में जोडा गया है तथा दोनों इंद्राजों की लिखावट व पेन की स्याही में अंतर है उसी की पुष्टि अनुविभागीय अधिकार नरसिंहपुर के प्रतिवेदन से होती है । वर्ष 1967 के पंजीकृत बटवारानामा में मौजा ढेडवारा की भूमि खसरा नंबर 19 व 52/1 पुनरीक्षणकर्ता के पिता प्रभुदयाल को दी गयी है तथा हिस्सा नं. 3 श्री देवमुरलीधर जी सरवराहकार गिरधारीलाल को दी गयी है जो अनावेदकों के आजा थे इससे स्पष्ट है कि वर्ष 1967 के पंजीकृत बटवारा के समय मौजा ढेडवारा में स्थित भूमि ख0नं0 52 श्री देवमुरलीधर जी के नाम से दर्ज नहीं रही उक्त पंजीकृत बटवारानामा को किसी पक्षकार के द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है तथा उक्त दस्तावेज 30 वर्ष पुराना दस्तावेज होने के कारण उसकी वैद्यता के संबंध में तथा उसके विपरीत कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार वर्ष 1963 में ख0नं0 52 में से रकवा 8.00 एकड भूमि प्रभुदयाल के द्वारा म0प्र0 इलेक्ट्रीसिटी जबलपुर को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.1.1963 को विक्रय की गयी उस समय भी उक्त भूमि प्रभुदयाल जी के नाम से दर्ज रही है अन्यथा उक्त भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता था ।

7- प्रकरण में पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा तहसीलदार नरसिंहपुर के राजस्व प्रकरण कमांक 2 अ/27/2011-12 आदेश दिनांक 23.7.2012 की सत्यप्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गयी है उक्त प्रकरण में अनावेदकों के पिता के द्वारा इसी भूमि के बटवारा हेतु एक आवेदन पत्र सहमति पत्र दिनांक 13.6.2011 के आधार पर प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त आवेदन में वादग्रस्त संपत्ति को संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति बतायी गया है जबकि इस प्रकरण में श्री देवमुरलीधर जी का नाम दर्ज करवाने हेतु शिकायत प्रस्तुत की है तहसीलदार के आदेश दिनांक 23.7.2012 की अपील कमांक 83 अ/27/11-12 अनावेदकों के पिता के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो कि आदेश दिनांक 28.12.2012 के द्वारा निरस्त की गयी है इन सभी दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त संपत्ति के मालिक पुनरीक्षणकर्ता क0 1 के पिता प्रभुदयाल रहे हैं तथा अनोवदकों के पूर्वजों के द्वारा वर्ष 1967 के पंजीकृत बटवारानामा

को स्वीकार किया गया है जिसमें श्री देवमुरलीधर जी को हिस्सा नंबर 3 मौजा झामर की भूमि दी गयी है जिसके सरवराहकार अनावेदकों के आजा गिरधारीलाल रहे है तथा उनके फौत होने के बाद अनावेदकों के पिता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए आदेश पारित किये गये हैं, जो औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत न होने से स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-2-16 तथा कलेक्टर, नरसिंहपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-2-15 निरस्त किए जाते हैं ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर